

न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ० प्रदीप के. गावंडे
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 37/2016

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1



- प्रार्थी

बनाम

महावीर सिंह पुत्र श्री किसन सिंह, राजपूत साकिन राजनोता ढाणी
सल्ला जी, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर

- अप्रार्थी

(वारिसान-जावत्री देवी पत्नी स्व. महावीर सिंह, मुकेश, महेश,
मुनेश कंवर, मनोज कंवर, पिसरान महावीर सिंह पुत्र श्री किसन सिंह,
राजपूत साकिन राजनोता ढाणी सल्ला जी, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर)

उपस्थिति :

1. श्री धनेश खत्री अधिवक्ता अप्रार्थीगण
2. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :- 12-06-2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ नं० 1 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 29-10-2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 03-10-1985 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, कोलायत नं० 2 के चक 14 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 3/52 में 21-00 बीघा कमाण्ड व 4-00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा इसके पश्चात उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होने के कारण दिनांक 4-6-2007 को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-1 के चक नम्बर 72 एसडी के मु०नं० 17/37 में 24-05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जिससे आवंटन ही संदिग्ध हो जाने से आवंटन निरस्त योग्य है। पच्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पच्ची में हेराफेरी की गयी है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 द्वारा उक्त आवंटन आदेश नियम 1975 एवं राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत होने के कारण नियम 22(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 4-6-2007 द्वारा उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-1 के चक नम्बर 72 एसडी के

मु0नं0 17/37 में 24.05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार विनिमय में किये गये आवंटन को नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी वकील ने उपस्थित होकर बहस की। बहस के अनुसार अप्रार्थी साकिन राजनोता ढाणी तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान का मूल निवासी है तथा पेशे से सद्भावी काश्तकार है। भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर राज्य सरकार की नीति एवं नियमानुसार कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व पात्रता के आधार पर दिनांक 03-10-1985 को उपनिवेशन तहसील, कोलायत न0 2 के चक 14 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 3/52 में 21-00 बीघा कमाण्ड व 4-00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होने के कारण दिनांक 4-6-2007 को ऑर्डरशीट पर उल्लेख अनुसार जिला कलक्टर, बीकानेर/जैसलमेर की अध्यक्षता में गठित विनिमय कमेटी के निर्णय अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्री महावीर सिंह को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ़-1 के चक नम्बर 72 एसडी के मु0नं0 17/37 में 24.05 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन किया गया था। पूर्व आवंटित भूमि अन्य को आवंटन हो गई थी। ऐसे अलाटियों को अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार ही अप्रार्थी को सक्षमता अनुसार दोहरा आवंटन होने के कारण अन्य भूमि का आवंटन करने का है। विनिमय का प्रकरण नहीं बनता है। इस कारण नोटिस खारिज योग्य है। आवंटन पर्ची में कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कार्य अलोटी द्वारा नहीं किया जाता है अपितु कार्यालय द्वारा संचालित एवं संरक्षित होता है जिस पर अलोटी का किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं होता है। साथ में यह निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लाटरी निकाली गयी है उस आवंटन पर्ची पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों की व्यवस्था नहीं है अपितु आवंटन रजिस्टर में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। आवंटन पर्ची पर केवल आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं जो आवंटन पर्ची पर मौजूद है। आफिशियल मिस्टेक के लिये पार्टी को पेनेलाईज नहीं किया जा सकता। नोटिस में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि उक्त आवंटन अगेंस्ट लॉ कैसे हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व निरस्त योग्य है। धारा 22 के नोटिस में कारण अंकित किये हैं वो केवल तकनीकी बिन्दु है तथा उक्त कार्रवाई कार्यालय से संबंधित है अप्रार्थी से नहीं। इस कारण टेक्नीकल बिन्दु पर उक्त आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। RULE 14(4) the completion of formalities is the responsibility of the revenue staff and it is for the concerned offices to ensure that all formalities have been completed (before an application is considered for allotment) where the allottee has committed fraud nor has he made any misrepresentative his old allotment cannot be cancelled on mere technicalities. वकील अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण विनिमय का मानकर श्रीमान द्वारा कार्रवाई की जा रही है जबकि विनिमय का अर्थ एक्सचेंज से है। एक्सचेंज की परिभाषा आवंटन नियम, 1954 की धारा 12 में दिया गया है। धारा 12 के मुताबिक उक्त प्रकरण उस परिधि में नहीं आता है। इस कारण जो कार्रवाई की गई है वो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया है कि आवंटन हुए 6-7 वर्ष हो गये हैं। अब इतने वर्षों के बाद में धारा 22(3) की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहां मियाद नहीं दी गयी है वहां धारा 137 मियाद अधिनियम के तहत 3 वर्ष की अवधि मानी जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार को इस आवंटन की कोई अनियमितता नजर नहीं आई है। अब उस आवंटन आदेश इतने लम्बे अन्तराल के बाद धारा 22(3) की कार्रवाई की गई है। अब तहसीलदार डॉक्टरीन ऑफ एस्टोपल से बाधित है। आवंटन पूर्व में हुए आवंटन की एवज में किया गया है। इस कारण बार-बार सलाहकार समिति की राय नहीं ली जा सकी। दिनांक 4-6-2007 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में किया गया है। तहसीलदार ने माना है। केवल लाटरी पर्ची ना होने के आधार पर धारा 22(3) के प्रकरण की परिधि में नहीं आता है। यह ऑफिसियल मिस्टेक है। अतः नियम 22(3) प्रार्थना पत्र निरस्त करमावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकारराज व अप्रार्थी वकील की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

राज्य पक्ष द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नियम 22(3) के प्रार्थना पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है जिसके संबंध में संबंधित रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है कि मूल आवंटन विधिसम्मत है परन्तु दोहरे आवंटन होने से इसके स्थान पर अन्य भूमि का आवंटन किया गया है। संबंधित रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किये गये कि प्रकरण विनिमय का नहीं है, इस तथ्यों से हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि अप्रार्थी को आवंटित भूमि दोहरे आवंटन होने से अन्यत्र भूमि का आवंटन किया गया था जो कि आवंटन का ही हिस्सा था। इस प्रकार पश्चातवर्ती का आवंटन भूमि विनिमय में आवंटन का नहीं होकर, मूल कृषि भूमि आवंटन से संबंधित होना माना जा सकता है। जो मूल आवंटन की आड में विनिमय का आवंटन है जो विधिसम्मत है। जहां तक पत्रावली में भूमि आवंटन की लॉटरी की पर्ची पर समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं, यह प्रक्रियात्मक खामियां हैं। इसमें आवंटी का कोई दोष नहीं है। आर्डरशीट देखने से स्पष्ट होता है कि तबादला जिला कलक्टर, बीकानेर/जैसलमेर की अध्यक्षता की समिति में सक्षम हुई है और उसके बाद आवंटन सलाहकार समिति व आवंटन अधिकारी द्वारा जरिये लॉटरी आवंटन किया गया है। मूल आवंटन दिनांक 03-10-1985 को किया गया। तत्पश्चात यह संपूर्ण रकबा दोहरे आवंटन होने से उसकी रिपोर्ट भी संबंधित तहसीलदार, पटवारी द्वारा करने पर दिनांक 4-6-2007 को नियमानुसार आवंटन किया गया है। इस दिनांक को संबंधित तहसीलदार उपस्थित रहे हैं तथा समस्त कार्रवाई, आवंटन प्रक्रिया उनकी जानकारी में थी। यहां यह बिन्दु भी विचारणीय है कि राज्यपक्ष द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ लिमिटेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22(3) जिसकी मियाद आवंटन से अथवा जानकारी से 30 दिन कानूनी है परन्तु लगभग 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। साथ ही आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। अतः अगर वारिसान को उक्त कारणों से भूमि से वंचित किया गया तो उनके साथ न्याय नहीं होगा केवल कागजी अनियमितता के कारण उक्त भूमि से वंचित करना उचित नहीं होगा।

चूंकि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है जिनको देश की सुरक्षा के उपलक्ष्य में व सेवानिवृत्ति के बाद उक्त कृषि भूमि आवंटित की गई है। आवंटी को मूल आवंटन की आड में विनिमय में दी गई भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रक्रियात्मक भूल त्रुटि की वजह से आवंटन खारिज कर देना न्यायोचित नहीं होगा। जहां तक विनिमय में किया गया आवंटन बिना विनिमय समिति की अनुशंषा के ही विनिमय में आवंटन किये जाने का प्रश्न है उसकी नियमानुसार पुष्टि आगामी विनिमय समिति द्वारा करवाने हेतु अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को निर्देश दिये जाते हैं।

ऐसी स्थिति में उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ-1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार, सारहीन एवं मियाद बाहर होने के आधार पर निरस्त किया जाता है तथा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4-6-2007 को यथावत रखा जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि वे आगामी विनिमय समिति की बैठक में नियमानुसार पुष्टि संबंधी कार्रवाई करें।

निर्णय दिनांक 12-06-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर